Ministry of Home Affairs
PM Division
*** * * ***

Frequently Asked Questions (FAQ)

PM-I

Question 1. Is there any scheme of Central Government to assist the States and UTs for Modernisation of Police?

Answer: Yes. The Assistance to States and UTs for Modernisation of Police (ASUMP) is a scheme through which the Central Government provides financial assistance to the respective State and Union Territories for modernization of police forces.

Question 2. What is the funding pattern for modernization of police forces in states /UTs under the scheme?

Answer: Funding Pattern

States/UTs have been grouped into three categories:

Category 'A'	Two Himalayan States, namely, Uttarakhand and Himachal Pradesh, 8 North Eastern States including Sikkim.	Eligible to receive financial assistance on 90:10 Centre: State sharing basis
Category 'B'	Remaining States	Eligible for financial assistance on 60:40 Centre: State sharing basis.
Category 'C'	UTs	100 % Central

This is subject to modification as per instructions of NITI Aayog from time to time.

Question 3. What is the procedure of granting funds to the State/UT Governments for police modernization?

Answer: After approval of proposals of States /UTs by the High Power Committee constituted by the Central Government, the central share funds are granted to the respective State/ UT Governments.

Question 4. What is PSARA?

Answer: PSARA is the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 administered by this Ministry. The Act regulates private security agencies in the country through a mandatory licence.

Question 5. Who grants PSARA licence?

Answer. Controlling Authorities appointed under the State/UT Governments grants PSARA licence.

Question 6. Who can apply for PSARA licence?

Answer. Any citizen/ Partnership/firm/ company intending to do the business of providing private security services can apply for PSARA licence.

Question 7. Whether the PSARA licence is issued State wise?

Answer. Yes, licence can be obtained for a district or a number of districts or the whole State.

Question 8. How much is the licence fee?

Answer. Licence fee depends upon the area of operation of private security agency business. As per the PSAR Act, 2005, licence fee is as below:

For one district	-----	Rs. 5000/-
For two to five district	-----	Rs. 10000/-
For whole State	-----	Rs. 25000/-

Question 9. What is the validity of licence?

Answer . Licence is valid for 5 years.

Question 10. What is time limit for applying renewal of licence?

Answer. Renewal of licence should be applied to the Controlling Authority not less than 45 days before the date of expiry of existing licence.

Question 11. What is the basic criteria of issuing licence?

Answer. Licence is issued by the Controlling Authority after verifying the antecedents of the applicants and/or after making such inquiries as considered necessary by the Controlling Authority.

Question 12. Is their any online system to apply for PSARA licence?

Answer. Yes. The licence can be applied online through private security agency licensing portal (psara.gov.in).

Question 13. Whether foreign direct investment (FDI) is permitted in the sector of private security agencies?

Answer. Yes. Foreign direct investment (FDI) in the sector of private security agencies is permitted “up to 49% with Government approval”.

PM-II

Question 1. What is the constitutional provision with regard to "Police"?

Answer: "Police" is a State subject falling in List-II (State List) of the Seventh Schedule of the Constitution of India.

Question 2. Is annual assessment and ranking of police stations in the country is done by Ministry of Home Affairs?

Answer: Yes.

Question 3. What is the method for assessing the police stations and selection of best police stations?

Answer: Out of all Police Station of the country, short-listing is done on the basis of data uploaded on CCTNS in the following manner:-

a) 3 from the States having 750+ police station
b) 2 from all other States and NCT Delhi
c) 1 from each Union Territory

The police stations are evaluated on the basis of data of crime against women, SCs/STs, property offences, missing persons and unidentified found person/dead bodies. The criteria for choosing the best police stations in the country was primarily on the basis of their performance in crime prevention, investigation and disposal of cases, crime detection, community policing and maintenance of law and order. Infrastructure of Police Stations and Citizens Feedback are also taken into account for this purpose.

Question 4. When the report of Best Police Stations is released?

Answer: The report of Best Police Stations is released in the Annual DGsP-IGsP Conference.

Question 5. Which type of award/certificate is given to the selected police Stations?

Answer: The 3 best police stations selected for that year is awarded shield. Further, top 10 police stations of the country and top police stations of each States/UTs are given certificates.

****

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

पी.एम-I

प्रश्न 1. क्या पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की कोई योजना है?

उत्तर: हाँ।पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी) एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रश्न 2. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को आधुनिकीकरण के लिए फंडिंग पैटर्न क्या है?

उत्तर. फंडिंग पैटर्न

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

श्रेणी 'ए'	दो हिमालयी राज्य, अर्थात् उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित 8 उत्तर पूर्वी राज्य।	90:10 केंद्र: राज्य साझाकरण के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र
श्रेणी 'बी'	शेष राज्य	60:40 केंद्र: राज्य साझाकरण आधार पर वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
श्रेणी 'सी'	केंद्र शासित प्रदेश	100% केंद्रीय यह समय-समय पर नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार संशोधन के अधीन है।

यह समय-समय पर नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार संशोधन के अधीन है।

प्रश्न 3. पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान देने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को केंद्र के हिस्से की धनराशि प्रदान की जाती है।

प्रश्न 4. पसारा क्या है?

उत्तर: पसारा इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 है। अधिनियम एक अनिवार्य लाइसेंस के माध्यम से देश में निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियंत्रित करता है।

प्रश्न 5. पसारा लाइसेंस कौन देता है?

उत्तर. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के तहत नियुक्त नियंत्रक प्राधिकरण पसारा लाइसेंस प्रदान करते हैं।

प्रश्न 6. पसारा लाइसेंस के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: कोई भी नागरिक/साझेदारी/फर्म/कंपनी जो निजी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करना चाहता है, पीएसएआरए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न7. क्या पीएसएआरए लाइसेंस राज्यवार जारी किया जाता है?

उत्तर. हां, एक जिले या कई जिलों या पूरे राज्य के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 8. लाइसेंस शुल्क कितना है?

उत्तर. लाइसेंस शुल्क निजी सुरक्षा एजेंसी व्यवसाय के संचालन के क्षेत्र पर निर्भर करता है। पीएसएआर अधिनियम, 2005 के अनुसार, लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार है:

एक जिले के लिए ----- रु. 5000/-
दो से पांच जिले के लिए ----- रु. 10000/-
पूरे राज्य के लिए ----- रु. 25000/-

प्रश्न 9. लाइसेंस की वैधता क्या है?

उत्तर . लाइसेंस 5 साल के लिए वैध है।

प्रश्न 10. लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर. लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए मौजूदा लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से कम से कम 45 दिन पहले नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन किया जाना चाहिए।

प्रश्न 11. लाइसेंस जारी करने का मूल मानदंड क्या है?

उत्तर. आवेदकों के पूर्ववृत्त की पुष्टि करने के बाद और/या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछताछ करने के बाद नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है।

प्रश्न 12. क्या पीएसएआरए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए उनकी कोई ऑनलाइन प्रणाली है?

उत्तर. हां, लाइसेंस के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंसिंग पोर्टल (psara.gov.in) के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 13. क्या निजी सुरक्षा एजेंसियों के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है?

उत्तर. हां। केंद्र सरकार की अनुमति लेने के बाद निजी सुरक्षा एजेंसियों के क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।

प्रश्न 1. "पुलिस" के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है ?

उत्तर: भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। (राज्य सूची) के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है।

प्रश्न 2. क्या गृह मंत्रालय द्वारा देश के पुलिस थानों का वार्षिक मूल्यांकन और रैंकिंग की जाती है?

उत्तर: हाँ।

प्रश्न 3. पुलिस थानों का आकलन और सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के चयन की क्या विधि है?

उत्तर: देश के सभी पुलिस थानों में से सीसीटीएनएस पर अपलोड किए गए डाटा के आधार पर निम्नलिखित तरीके से शॉर्टलिस्टिंग की की जाती है:-

क) 750+ पुलिस थानों वाले राज्यों से 3
ख) अन्य सभी राज्यों और एनसीटी दिल्ली से 2
ग) प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से 1

पुलिस थानों का मूल्यांकन महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, संपत्ति संबंधी अपराधों, गुमशुदा व्यक्तियों और अज्ञात पाए गए व्यक्तियों/शवों के खिलाफ अपराध के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को चुनने का मानदंड मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम, जांच और मामलों के निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के रखरखाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर था।इस उद्देश्य के लिए पुलिस थानों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाता है।

प्रश्न 4. सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की रिपोर्ट कब जारी की जाती है ?

उत्तर. पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की रिपोर्ट जारी की जाती है।

प्रश्न 5. चयनित पुलिस थानों को किस प्रकार का पुरस्कार/प्रमाण पत्र दिया जाता है?

उत्तर: उस वर्ष के लिए चुने गए 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को शील्ड प्रदान की जाती है।इसके अलावा, देश के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष पुलिस स्टेशनों को प्रमाण पत्र दिया जाता है।

****